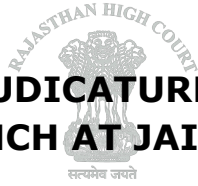


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Writ Petition No. 444/2025

Amichand S/o Shri Sitaram, Aged About 45 Years, R/o Teharpur, Police Station Vijaymandir, District Alwar (Raj.) (At Present In Central Jail, Alwar) Through His Saroj Devi W/o Shri Amichand Aged About 40 Years, R/o Teharpur, Police Station Vijaymandir, District Alwar (Raj.) 301001.

-----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Secretary Home, Secretariat, Jaipur.
2. The District Magistrate, Alwar.
3. Superintendent Central Jail, Alwar.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Vishram Prajapati
For Respondent(s) : Mr. J S Rathore, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/04/2025

यह रिट याचिका याची/बंदी की ओर से पुत्री के विवाह में शामिल होने हेतु आपात (emergent) पैरोल पर रिहा (release) किये जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई है।

याची/बंदी अमीचन्द पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध होकर 20 वर्ष के कारावास का दण्ड भुगत रहा है। याची-बंदी ने दिनांक 14.04.2025 को होने वाले अपनी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए एक प्रार्थनापत्र आपात (emergent) पैरोल पर रिहा (release) किये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जो जिला पैरोल परामर्श समिति द्वारा दिनांक 26.03.2025 को निरस्त किया गया है

प्रार्थनापत्र पर याची/बंदी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

याची/बंदी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 14.04.2025 को उसकी पुत्री शादी है, जिसका निमंत्रण पत्र भी उसने प्रस्तुत किया है। राजस्थान बंदी कारावकाश पर रिहा नियम 2021 के नियम 11(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत आपात (emergent) पैरोल पर रिहा (release) किया जा सकता है। अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह अलवर, जिला पुलिस अधीक्षक अलवर, थानाधिकारी पुलिस थाना विजय मंदिर अलवर तथा उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर की अभिशंषा भी इस आशय की है, परन्तु जिला पैरोल परामर्श समिति ने गलत रूप से उसका प्रार्थनापत्र निरस्त किया है। अतः उक्त आदेश को अपास्त कर याची/बंदी को पैरोल पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्थान बंदी कारावकाश पर रिहा नियम 2021 के नियम 16(2) के अन्तर्गत पोक्सो अधिनियम के दोषसिद्ध अपराध में सजा काट रहे बंदी को पैरोल पर रिहाई अनुमत नहीं है।

हमने प्रस्तुत तर्क-वितर्क पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

राजस्थान बंदी कारावकाश पर रिहा नियम 2021 के नियम 16 में निम्न प्रावधान किया गया है—

"Ineligibility for release.- (1) The following categories of prisoners shall not be eligible for release on parole unless they have not served half of the sentence including remission:-

(a) Prisoners who have escaped from the Jail or Police/ Judicial custody or attempted to escape;

(b) Prisoners who have been convicted for offences under sections 121 to 134, 216A, 302, 311, 328, 332, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 413, 455, 458, and 459 of the Indian Penal Code, 1860;

(c) Prisoner convicted for the offences punishable with imprisonment of 7 years or more under any other law:

Provided that in granting parole to prisoners sentenced under section 302 of Indian Penal Code 1860, the circumstances of the case under which the murder was committed, such as murder committed for possession of land or over honour of women or as a result of family feuds shall be kept in view and favorably considered for parole

(2) The following categories of prisoners shall not be eligible for release on parole:-

(a) Prisoners convicted under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(b) Prisoners convicted under section 326A, 364, 364A, 376A, 376B, 376E, 396, 460 of the Indian Penal Code 1860 and section 376 connected with 302 of the Indian Penal Code 1860 (rape with murder).

(c) Prisoners convicted under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Central Act No. 37 of 1967).

इस प्रकार उक्त नियम 16(2)(ए) को देखने से स्पष्ट है कि पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध बंदी पैरोल पर मुक्त होने के लिए पात्र (eligible) नहीं है। इस नियम में कोई परन्तुक भी नहीं है और न ही कोई आपवादिक स्थिति का ही वर्णन है। याची पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध होकर 20 वर्ष के कारावास का दण्ड भुगत रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त नियमों के अन्तर्गत याची पैरोल पर रिहाई के लिए पात्र नहीं है, इस कारण से वह आपात (emergent) पैरोल पर रिहा होने के लिए भी पात्र नहीं माना जा सकता है।

राजस्थान बंदी कारावकाश पर रिहा नियम 2021 के नियम 11 में आपात (emergent) मामलों में पैरोल पर बंदी को छोड़े जाने का प्रावधान है, यह नियम भी निम्न प्रकार से हैं—

"Emergent cases.- (1) Notwithstanding anything contain in rule 5,6, and 10, in emergent cases, involving humanitarian consideration, such as,-

(i) critical condition on account of illness of any close relative i.e. father, mother, wife, husband, children, brother or un-married sister;

- (ii) death of any such close relative;
 - (iii) serious damage to life or property from any natural calamity;
 - (iv) Marriage of a Prisoner, his/her son or daughter or his/her brothers/sister in case his/her parents are not alive; and
 - (v) delivery of Prisoners wife,a prisoner,
- may be released on parole for a period not exceeding seven days by the Superintendent of the Jail and for a period not exceeding fifteen days by the Inspector General of Prisons or District Magistrate on such terms and conditions as they may, consider necessary to impose for the security of the prisoner including a guarantee for his return to the Jail, acceptance or execution whereof would be a condition precedent to the release of such a prisoner on parole.

उक्त नियम को पढ़ने से स्पष्ट है कि नियम 5, 6 व 10 में किसी बात के होते हुए भी आपात (emergent) स्थिति में मानवीय आधारों पर बंदी को पैरोल पर मुक्त किया जा सकता है, परन्तु इस नियम में कहीं भी नियम 16 का हवाला नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत नियम 16(2)(ए) में वर्णित बंदी, जो पोक्सो अधिनियम के अपराधों के लिए दोषसिद्ध हुआ है, वह किसी भी प्रकार के पैरोल, जिसमें आपात (emergent) पैरोल भी शामिल है, पर रिहा होने का पात्र (eligible) नहीं है। इसी आधार पर जिला पैरोल परामर्श समिति ने आदेश दिनांक 26.03.2025 पारित कर पैरोल पर रिहा करने से इंकार किया है, जिसमें कोई अवैधता और नियम विरुद्धता नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त की जाती है।
तदनुसार विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई हो, तो निरस्त किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J